

राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप-9) विभाग

क्रमांक : प.33(2)गृह-9 / 2019

जयपुर, दिनांक : 21 मार्च, 2021

आदेश

विषय: निगरानी, नियंत्रण और सावधानी के लिए गाईडलाईन्स दिनांक 21 मार्च से 31 मार्च, 2021 तक।

संक्रमण की रोकथाम एवं इन्ही उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु गृह मंत्रालय, भारत सरकार (MHA) के आदेश क्रमांक 40-3/2020-डीएम-I(ए) दिनांक 27 जनवरी, 2021 को जारी किये गये दिशा-निर्देशों को 31 मार्च, 2021 तक की अवधि के लिए बढ़ाया गया है।

“कोविड-19 संक्रमण के विरुद्ध लगातार सतत जागृति रखना आवश्यक है। प्रत्येक नागरिक को सम्यक सावधानी बरतते हुए निगरानी, नियंत्रण और दिशा-निर्देशों के सख्त पालन पर ध्यान केन्द्रित करते हुए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) का सख्ती से पालना करना चाहिए।

तदनुसार, राज्य में कोविड-19 के वर्तमान परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए विभागीय समसंब्यक्त आदेश दिनांक 27.02.2021 की निरंतरता में माह मार्च, 2021 के लिए राजस्थान राज्य में सावधानी और कड़ी निगरानी बनाए रखने के लिए निम्नलिखित दिशा-निर्देश जारी किए जाते हैं:-

A. निगरानी और कंटेनमेंट जोन :

- आवश्यकता होने पर संबंधित जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा गृह मंत्रालय/स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की गाईडलाईन्स को ध्यान में रखते हुए कन्टेनमेन्ट जोन का माईक्रो लेवल पर उपयुक्त चिन्हिकरण कर वेबसाईट पर नोटिफाई किया जायेगा।
- संबंधित जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा किसी भी क्षेत्र/अपार्टमेंट में समूह में 5 व्यक्ति कोविड संक्रमित पाये जाते हैं, तो उस क्षेत्र को मिनी कन्टेनमेन्ट जोन घोषित किया जायेगा।
- चिन्हिकृत कन्टेनमेन्ट जोन में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा निर्धारित रोकथाम उपायों की सख्ती से (निष्ठा पूर्वक) निम्नानुसार अनुपालना करवाई जावे:-

- i. कोविड-19 रोगियों को उपचार सुविधा स्थलों पर/उनके घरों में (होम आइसोलेशन गाईडलाईन की पालना की शर्त पर) तुरन्त आईसोलेट किया जावेगा।
- ii. चिकित्सा विभाग हर दिन सभी सकारात्मक मामलों की सूची (पता एवं मोबाइल विवरण के साथ) संबंधित थानाधिकारी के साथ बीट कांस्टेबल द्वारा निगरानी प्रयोजन हेतु साझा करेंगे। बीट कांस्टेबल सकारात्मक मामलों की निगरानी के लिए **RajCovidInfo** ऐप डाउनलोड करेगा। वह यह सुनिश्चित करने के लिए कि मरीज घर पर ही रहता है तीन दिन में कम से कम एक बार रोगी के घर का दौरा करेगा और रोगी के मोबाइल फोन पर RajCovidInfo ऐप भी डाउनलोड करायेगा।
- iii. समुदायों में कोविड-19 से बचने के लिए उचित व्यवहार सम्बन्धी जागरूकता पैदा की जावे।
- iv. निर्धारित कंटेनमेंट उपायों की सख्ती से पालना करवाये जाने की जिम्मेदारी स्थानीय जिला, पुलिस और नगर निगम/नगरपालिका अधिकारियों की होगी। जिला कलक्टर एंवं जिला मजिस्ट्रेट इस हेतु संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करेंगे।
- v. संबंधित जिला कलक्टर एंवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 अन्तर्गत निरोधात्मक आदेश जारी किये जायेंगे।

B. स्थानीय प्रतिबन्ध :

- (1) भारत सरकार द्वारा दिनांक 22.01.2021 को कुंभ मेला के संदर्भ में कोविड-19 से संबंधित बिन्दुओं के प्रबन्धन हेतु एक विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) डाक्यूमेंट जारी किया गया है। भारत सरकार द्वारा बनाई गई SOP के अनुसार आदेश दिनांक 08.06.2020 द्वारा गठित की गई समिति विभिन्न मेलों एवं उत्सवों के आयोजन हेतु राज्य सरकार से परामर्श कर उपयुक्त कदम उठायेगी।

मानविकी
 धार्मिक मेलों/उत्सवों एवं त्यौहारों के आयोजन हेतु विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 03.02.2021 के संलग्न जारी की गई मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

- (2) राज्य सरकार की पूर्व अनुमति से जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट परिस्थितियों का आंकलन करते हुए कोविड-19 के फैलाव को रोकने के लिए स्थानीय प्रतिबंध जारी कर सकेंगे।
- (3) जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा कार्यालयों में सोशल डिस्टेंसिंग की अनुपालन कराया जाना आवश्यक होगा।
- (4) जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा कन्टेन्मेंट जोन्स के बाहर स्थानीय लॉकडाउन (जिला/उपखण्ड/शहर/ग्राम स्तर पर) सरकार की बिना पूर्व स्वीकृति के लागू नहीं किया जायेगा।

- (5) a. दिनांक 22.03.2021 से नगरीय निकायों में रात्रि 10 बजे बाद बाजार बंद रहेंगे।
- b. दिनांक 22.03.2021 से राज्य के अजमेर, भीलवाड़ा, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, सागवाड़ा एवं कुशलगढ़ में नगरीय निकाय की सीमा में रात्रि 11 बजे से प्रातः 5 बजे तक रात्रि कालीन कर्फ्यू रहेगा। सभी बाजार, कार्य स्थल एवं व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स रात्रि कालीन कर्फ्यू के दौरान बंद रहेंगे। बाजार एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठान आदि रात्रि 10 बजे बंद कर दिये जायें ताकि सम्बन्धित स्टाफ एवं अन्य व्यक्ति रात्रि 11 बजे तक अपने घर पहुंच जाये, जब तक कि इस हेतु जिला कलक्टर द्वारा अधिकृत अधिकारी से अन्यथा विशेष अनुमति प्राप्त नहीं की गई हो।

कर्फ्यू सम्बन्धी यह गाईडलाईन्स निम्नांकित पर लागू नहीं होगी:-

- i. वे फैक्ट्रियां, जिनमें निरन्तर उत्पादन हो रहा हो।
- ii. वे फैक्ट्रियां, जिनमें रात्रिकालीन शिफ्ट चालू हो।
- iii. आई.टी. कम्पनियां।
- iv. कैमिस्ट शॉप।
- v. अनिवार्य एवं आपातकालीन सेवाओं से सम्बन्धित कार्यालय।
- vi. विवाह सम्बन्धी समारोह।
- vii. चिकित्सा सेवाओं से सम्बन्धित कार्यस्थल।
- viii. बस स्टैण्ड, रेल्वे स्टेशन और एयरपोर्ट से आने/जाने वाले यात्रीगण।
- ix. माल परिवहन करने वाले भार वाहनों के आवागमन, माल के लोडिंग एवं अनलोडिंग तथा उक्त कार्य हेतु नियोजित व्यक्ति।
- x. रेस्टोरेन्ट्स।

(इस हेतु पृथक से पास जारी नहीं किये जायेंगे।)

उक्त संस्थाओं द्वारा कार्यस्थल संबंधी कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जायेगा। जिला प्रशासन द्वारा इस सम्बन्ध में सघन जांच की जायेगी और यदि कोई उल्लंघन पाया जाता है, तो संस्था को सील किया जायेगा।

C. कन्टेन्मेन्ट जोन्स के बाहर के क्षेत्रों में:-

- (i) राज्य सरकार द्वारा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश दिनांक 08.09.2020 में निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार के विद्यालयों एवं उच्च शिक्षण संस्थानों के साथ ही निजी विद्यालयों, कोचिंग संस्थानों व मेडिकल कॉलेज, डेन्टल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज एवं पैरामेडिकल कॉलेज को खोलने के सम्बन्ध में निम्नानुसार निर्णय लिया गया है:-

- ए. ऑनलाईन / डिस्टेंस लर्निंग जारी रहेगी एवं इसे प्रोत्साहित किया जायेगा।
- बी. राज्य के सभी सरकारी / निजी विद्यालयों के 6वीं से 12वीं तक की नियमित कक्षाओं के लिये विद्यालय खोले जाने की अनुमति रहेगी।
- सी. कक्षा 1 से 5वीं तक की नियमित कक्षा गतिविधियां आगामी आदेश तक बंद रहेंगी।
- डी. राज्य के सभी विश्वविद्यालयों / महाविद्यालयों में नियमित कक्षाएं चलाए जाने की अनुमति रहेगी।

सभी सरकारी एवं निजी विद्यालयों द्वारा नियमित कक्षाओं के लिए शिक्षा विभाग द्वारा जारी की गई मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) की अनिवार्यतः पालना सुनिश्चित की जायेगी। नियमित कक्षाओं के अध्ययन के लिये छात्रों की बैठक व्यवस्था इस प्रकार की जायेगी की प्रत्येक कक्ष में छात्रों की उपस्थिति कक्ष की क्षमता के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। सभी सरकारी / निजी विद्यालयों में आने वाले विद्यार्थियों / स्टाफ की थर्मल स्क्रीनिंग करना अनिवार्य होगा। विद्यालय जाने हेतु विद्यार्थियों को अपने माता-पिता / अभिभावकों से लिखित में स्वीकृत प्राप्त करना आवश्यक होगा। सभी विद्यालयों / महाविद्यालयों व कोचिंग संस्थानों द्वारा गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय एवं शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी की गई मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) व राज्य सरकार के गृह विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग व शिक्षा विभाग द्वारा जारी किये गये दिशा-निर्देशों की पूर्ण पालना सुनिश्चित की जावेगी।

D. समारोह आयोजन (Gatherings) :

सामाजिक / राजनैतिक / खेल-कूद / मनोरजन / शैक्षणिक / धार्मिक आयोजनों एवं वृत् एकत्रीकरण की कन्टेनमेन्ट जोन्स के बाहर के क्षेत्रों में निम्नानुसार अनुमति होगी :—

(1) विवाह संबंधी आयोजन।

आयोजन कर्ता द्वारा :—

- (ए) उपखण्ड मजिस्ट्रेट को अधिमानतः ई-मेल द्वारा पूर्व सूचना देनी होगी।
- (बी) कार्यक्रमों के दौरान सामाजिक दूरी सुनिश्चित की जायेगी।
- (सी) फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा “नो मास्क नो एन्ट्री” की सख्ती से पालना की जायेगी।
- (डी) स्क्रीनिंग एवं स्वच्छता सुनिश्चित की जायेगी : प्रवेश एवं निकास के बिन्दुओं पर थर्मल स्क्रीनिंग, हैण्ड वाश एवं सेनेटाईज़र के प्रावधान किये जायेंगे।
- (ई) सामान्य सुविधाओं एवं मानव सम्पर्क में आने वाले सभी बिन्दु जैसे रेलिंग्स, डोर हैण्डलस आदि को बार-बार सेनेटाईज़ किया जायेगा।

(एफ) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि आमंत्रित मेहमानों (अतिथियों) की संख्या **200** से अधिक नहीं होगी।

(जी) विवाह आयोजनकर्ता द्वारा समारोह की वीडियों ग्राफी करवाई जायेगी एवं संबंधित उपखण्ड अधिकारी द्वारा मांगने पर उपलब्ध करवाई जायेगी।

(2) अन्त्येष्टि / अन्तिम संस्कार सम्बन्धी कार्यक्रम : अनिवार्य रूप से फेस मास्क पहनने, सामाजिक दूरी एवं थर्मल स्कैनिंग, हेडवॉश और सेनेटाईज़र के प्रावधानों के साथ। अनुमत व्यक्तियों की संख्या 20 से अधिक नहीं होगी।

(3) सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक सार्वजनिक / जन कार्यक्रमों का आयोजन निम्न शर्तों के अधीन होगा:-
आयोजन कर्ता द्वारा:-

1. आयोजन के संबंध में कार्यक्रम की बैठक व्यवस्था प्लान (Seating Plan) के साथ संबंधित जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट/पुलिस आयुक्त को पूर्व में लिखित में सूचित (प्राथमिकता से ई-मेल द्वारा) किया जायेगा।

2. आयोजनकर्ता यह सुनिश्चित करेंगे कि :-

(अ) बंद स्थानों पर हॉल क्षमता की 50 प्रतिशत क्षमता तक, अधिकतम **200** व्यक्तियों की सीलिंग रखते हुए ही व्यक्ति अनुमत किये जावे।

(ब) 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में खुले स्थानों पर स्थल / जगह को ध्यान में रखते हुए **200** व्यक्तियों की सीलिंग रखी जावे।

प्रत्येक व्यक्ति **6 फीट दूरी (2 गज की दूरी)** संधारित करेगा।

3. सामाजिक दूरी (Social Distancing) की पालना सुनिश्चित की जायेगी।
4. फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा। “नो-मास्क नो-एंट्री” की सख्ती से पालना सुनिश्चित की जायेगी।
5. स्क्रीनिंग एवं स्वच्छता सुनिश्चित की जायेगी। प्रवेश एवं निकास बिन्दुओं पर एवम् कॉमन एरिया में थर्मल स्कैनिंग, हैण्ड वाश एवं सेनेटाईज़र के प्रावधान किये जायेंगे।
6. कुर्सियों, सामान्य सुविधाओं एवं मानव सम्पर्क में आने वाले सभी बिन्दुओं जैसे रेलिंग्स, डोर हैण्डल्स एवं सार्वजनिक सतह, फर्श आदि की बार-बार सफाई की जायेगी।

उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन अपराध है और भारी जुर्माने के साथ दंडनीय है।

E. कन्टेनमेन्ट जोन के बाहर अनुमत गतिविधियों हेतु लागू मानक कार्य प्रणाली (एस.ओ.पी.) की सख्ती से पालना :—

1. कन्टेनमेन्ट जोन के बाहर, निम्न के अलावा जो कठिपय प्रतिबन्धों के साथ अनुमत है, सभी अन्य गतिविधियां अनुमत है :—
 - i. गृह मंत्रालय द्वारा यथा अनुमत अन्तर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा।
 - ii. सिनेमा हॉल्स / थियेटर / मल्टीप्लेक्स, मनोरंजन पार्क एवं समान स्थान 50 प्रतिशत की क्षमता के साथ 08 फरवरी, 2021 से सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा गृह मंत्रालय, भारत सरकार के परामर्श से जारी की गई मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) के अधीन गतिविधियों के लिए खोले जाने हेतु अनुमति होगी।
 - iii. तरण—ताल भारत सरकार के युवा मामलात एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा गृह मंत्रालय, भारत सरकार के परामर्श से जारी की गई SOP के अधीन गतिविधियों के लिए खोले जाने हेतु अनुमति होगी।
 - iv. **प्रदर्शनी हॉल** वाणिज्यिक विभाग, भारत सरकार द्वारा गृह मंत्रालय, भारत सरकार के परामर्श से जारी की गई मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) के अधीन खोले जाने हेतु अनुमति होगी।
(हॉल की क्षमता का अधिकतम 50 प्रतिशत, 200 व्यक्तियों की सीमा के साथ अनुमत)
2. विभिन्न अनुमत गतिविधियों के लिए मानक कार्य प्रणाली (एस.ओ.पी.) निर्धारित की गयी है। सुलभ संदर्भ हेतु गतिविधि वार एस.ओ.पी. की सूची को उनके वेबलिंक के साथ वेबसाईट <https://covidinfo.rajasthan.gov.in> पर उपलब्ध कराया जायेगा।
3. सम्बन्धित प्राधिकारियों द्वारा मानक कार्य प्रणाली (एस.ओ.पी.) को सख्ती से लागू करवाया जावेगा एवं वे कड़ाई से पालना कराने हेतु उत्तरदायी होंगे।

F. कोविड-19 उपयुक्त व्यवहार :

जिला कलक्टर और जिला मजिस्ट्रेट कोविड-19 उपयुक्त व्यवहार यथा फेस मास्क पहनने, हाथों की स्वच्छता और सामाजिक दूरी बनाये रखने को बढ़ावा देने के लिए सभी आवश्यक उपाय करेंगे।

1. **फेस मास्क पहनना** एक आवश्यक निवारक उपाय है। इस मुख्य आवश्यकता को लागू करने के लिए, सार्वजनिक और कार्य स्थलों पर चेहरे पर मास्क नहीं पहनने वाले व्यक्तियों पर उचित जुर्माना लगाने जैसी प्रशासनिक कार्यवाही की जावे।
2. भीड़-भाड़ वाली जगहों, विशेषकर बाजारों, साप्ताहिक बाजारों और सार्वजनिक परिवहन में **सामाजिक दूरी** बनाये रखना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए भी महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय बाजार की भीड़ को विनियमित करने के लिए मानक कार्य प्रणाली (एस.ओ.पी.) जारी करेगा, जिसे सख्ती से लागू किया जावे।
3. विमान, ट्रेन और मेट्रो रेल में यात्रा को विनियमित करने के लिए एसओपी पहले से ही लागू है, उसे भी सख्ती से लागू किया जावे। इनकी कड़ाई से अनुपालना करवाई जावे।
4. कोविड-19 प्रबन्धन के लिए सामान्य सुरक्षा निर्देशों की पूरे राज्य में कड़ाई से पालना कि जायेगी।

G. कोविड-19 के प्रबन्धन हेतु सामान्य सुरक्षा निर्देश :

(Common Safety Directives for Covid-19 Management)

सभी जिलों एवं सभी क्षेत्रों के लिए निम्नांकित सामान्य सुरक्षा निर्देश लागू रहेंगे:

1. सार्वजनिक स्थानों में (In Public Places) :

निम्नांकित सावधानियां सार्वजनिक सुरक्षा के लिए आवश्यक होने के कारण आज्ञापक हैं एवं इनका उल्लंघन दण्डनीय होगा :

- (1) **मुँह को ढकना (Face Covering):** सभी सार्वजनिक व कार्य स्थलों एवं परिवहन के दौरान फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा। “नो मास्क नो एन्ट्री” की सख्ती से पालना सुनिश्चित कराई जायेगी।
- (2) **सामाजिक दूरी :** सार्वजनिक स्थानों में प्रत्येक व्यक्ति के 6 फीट यानी (“2 गज की दूरी”) बनाये रखेगा।
- (3) **सार्वजनिक और कार्य स्थलों पर थूकना निषिद्ध है** और जुर्माने से दण्डनीय है।
- (4) सार्वजनिक स्थानों पर शराब, पान, गुटका, तम्बाकू आदि का सेवन **निषिद्ध** है और जुर्माने से दण्डनीय है।
- (5) सभी व्यक्तियों को यह सलाह दी जाती है कि वे किसी ऐसी सतह, जो सार्वजनिक सम्पर्क में है, को छूने के उपरान्त साबुन और पानी से हाथ धोयें / सेनिटाईजर का उपयोग करें।

2. कार्य स्थलों में (At work places) :

कार्य स्थलों (कार्यालय, प्रतिष्ठान, कारखानों, दुकानों आदि) के लिए उपरोक्त बिन्दु संख्या 1 के अतिरिक्त निम्नांकित अतिरिक्त सुरक्षा सावधानियां और निर्धारित की जाती हैं :

- (1) **कार्यस्थलों पर (राजकीय, स्वायत्त शासी, निजी कार्यालय इत्यादि) कार्मिकों को कार्य की आवश्यकता के अनुरूप ही कार्यालय अध्यक्ष द्वारा बुलाया जावे।**
- (2) **घर से कार्य (WfH) :** जहाँ तक सम्भव हो घर से काम करने की विधि की पालना की जाये।
- (3) **कार्य/व्यवसाय के घण्टों में अन्तराल रखना :** कार्यालयों, कार्य स्थलों, दुकानों, बाजारों और औद्योगिकी व वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में काम/व्यवसाय के घण्टों में अन्तराल रखा जाये (Staggering of Work/business hours)।
- (4) **जांच एवं स्वच्छता (Screening and Hygiene) :** सभी प्रवेश और निकास बिन्दुओं और कॉमन स्थानों पर थर्मल स्कैनिंग, हैण्डवॉश और सैनिटाईजर का प्रबन्ध किया जावे।
- (5) **बार—बार सैनिटाईजेशन करना :** सम्पूर्ण कार्य स्थलों, आम सुविधाओं और मानव सम्पर्क में आने वाले सभी बिन्दुओं जैसे दरवाजे के हैण्डल आदि का शिफ्टों के मध्य बार—बार सैनिटाईजेशन करना सुनिश्चित किया जायेगा।
- (6) **सामाजिक दूरी :** कार्य स्थलों के प्रभारी व्यक्तियों द्वारा श्रमिकों के बीच पर्याप्त दूरी, पारियों के बदलने में पर्याप्त अन्तराल तथा लंच ब्रेक में उपयुक्त अन्तराल आदि के माध्यम से सामाजिक दूरी को सुनिश्चित किया जायेगा।
- (6) **श्रेष्ठ स्वच्छता विधियों पर संघन संचार और प्रशिक्षण दिया जायेगा।**

उपर वर्णित सामान्य सुरक्षा निर्देशों की क्रियान्विति आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 और राजस्थान महामारी अधिनियम, 2020 में वर्णित जुर्मानों एवं दण्ड कार्यवाही के माध्यम से जिला मजिस्ट्रेट तथा अन्य अधिकृत अधिकारियों द्वारा कराई जायेगी।

3. दुकानों:-

उपरोक्त वर्णित 1 एवं 2 के अतिरिक्त दुकानों में ग्राहकों के मध्य पर्याप्त दूरी सुनिश्चित की जायेगी। “नो मास्क नो सर्विस” जैसे कि जिस किसी ग्राहक ने फेस मास्क नहीं पहन रखा होगा तो उसको दुकानदार द्वारा कोई सामान विक्रय नहीं किया जायेगा।

H. आरोग्य सेतु एप का उपयोग :

संगत मोबाइल फोन पर सर्वोत्तम प्रयास के आधार पर आरोग्य सेतु का उपयोग जारी रखा जावे। यह समय पर उन व्यक्तियों को चिकित्सीय देखरेख के लिए सुविधा देगा जो जोखिम में हैं।

I. भेद्य व्यक्तियों के लिए सुरक्षा सलाह :

(Safety Advisory for Vulnerable Persons)

भेद्य व्यक्तियों जैसे (65 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्ति, पुराने रोगों एवं सःरुग्णता परिस्थितियों से पीड़ित व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं तथा 10 वर्ष से कम आयु के बालक) को घर पर ही रहने एवं केवल आवश्यक व स्वास्थ्य उद्देश्यों के लिए ही और यदि अपरिहार्य परिस्थितियां ऐसी मांग करें तो ही बाहर जाने की सख्त हिदायत दी जाती है। घर से बाहर जाने पर यह अति-आवश्यक है कि वे समय-समय पर निर्दिष्ट सुरक्षा सावधानियों की सर्वाधिक पालना करें।

J. व्यक्तियों के आवागमन / परिवहन / पास

(Movement of People/ Transport/ Passes):

- (i) वस्तुओं के अन्तर्राज्यीय एवं राज्य के अन्दर आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। ऐसे आवागमन के लिये पृथक से अनुमति/अनुमोदन/ई-परमिट की आवश्यकता नहीं होगी।
- (ii) सभी कॉमर्शियल यात्री परिवहन वाहन – यात्रा से पहले एवं यात्रा के पश्चात् सीटों एवं छूने के बिंदुओं के उपयुक्त सैनिटाईजेशन एवं अन्य निर्धारित सुरक्षा सावधानियों की शर्तों की अनुपालना के अधीन बस, टैक्सी, कैब, संचालक (ओला/उबर आदि) ऑटो रिक्शा, साईकिल रिक्शा आदि का संचालन भी अनुमत होगा।
- (iii) सिटी बसें (लोक परिवहन), मेट्रो रेल जारी की गई एसओपी के अनुसार अनुमत होंगे।
- (iv) किसी भी वाहन (निजी/वाणिज्यिक) से यात्रा कर रही सवारियों की संख्या पंजीकृत वाहन की स्वीकृत बैठक क्षमता से अधिक नहीं होगी।
- (v) यात्री ट्रेन, घरेलू हवाई यात्रा आदि द्वारा आवागमन गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी की गयी मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) द्वारा नियमित किया जाना निरन्तर जारी रहेगा।
- (vi) राज्य के बाहर से आने वाले यात्रियों को राजस्थान में आगमन पर यात्रा प्रारम्भ करने के 72 घण्टे पूर्व करवाई गई RT-PCR नेगेटिव जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। ये आदेश दिनांक 25.03.2021 से प्रभावी होंगे। यदि कोई यात्री RT-PCR नेगेटिव जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने में असमर्थ रहता है तो गंतव्य पर पहुंचने पर 15 दिन के लिए क्वारंटीन करना अनिवार्य होगा।

इस सम्बन्ध में निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी :—

- सभी जिला कलक्टर्स राज्य के बाहर से सड़क मार्ग से आने वाले लोगों की RT-PCR नेगेटिव जांच रिपोर्ट की जांच हेतु पूर्व की भाँति प्रवेश द्वारा पर चेक-पोस्ट स्थापित कर राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णय की पूर्ण पालना सुनिश्चित करायेंगे।
- महाप्रबंधक, उत्तर-पश्चिम रेलवे, जयपुर, राजस्थान द्वारा राज्य के बाहर से रेलवे के माध्यम से यात्रा करने वाले यात्रियों की RT-PCR नेगेटिव जांच रिपोर्ट के सम्बन्ध में जारी आदेशों की पालना सुनिश्चित करायी जायेगी।
- एयरपोर्ट डायरेक्टर, एयरपोर्ट ऑथोरिटी ऑफ इण्डिया, सांगानेर, जयपुर द्वारा राज्य के बाहर से हवाई माध्यम से यात्रा करने वाले यात्रियों की RT-PCR नेगेटिव जांच रिपोर्ट के सम्बन्ध में जारी आदेशों की पालना सुनिश्चित करायी जायेगी।

K. क्रियान्वयन मशीनरी:

विभाग द्वारा जारी समसंख्यक आदेश दिनांक 26 मार्च, 2020 के अनुरूप होगी।


(अभय कुमार)

प्रमुख शासन सचिव, गृह

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :—

1. सचिव, राज्यपाल महोदय
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
3. सचिव, राजस्थान विधान सभा
4. विशिष्ट सहायक/निजी सहायक, सभी माननीय मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण
5. उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
6. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव।
7. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान।
8. महानिदेशक जेल/होमगार्ड।
9. सभी विभागाध्यक्ष।
10. समस्त सम्भागीय आयुक्त।
11. समस्त कलेक्टर्स।
12. पुलिस आयुक्त, जयपुर/जोधपुर।
13. महानिरीक्षक/उप महानिरीक्षक, पुलिस रेंज, राजस्थान।
14. महाप्रबंधक, उत्तर-पश्चिम रेलवे, जयपुर, राजस्थान।
15. एयरपोर्ट डायरेक्टर, एयरपोर्ट ऑथोरिटी ऑफ इण्डिया, सांगानेर, जयपुर।
16. समस्त जिला पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपायुक्त, जयपुर / जोधपुर
17. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद
18. समस्त प्रादेशिक परिवहन अधिकारी / जिला परिवहन अधिकारी।
19. आयुक्त, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग को व्यापक प्रचार प्रसार हेतु।


(एन.एल.मीना)
शासन सचिव, गृह

राजस्थान महामारी अधिनियम, 2020 धारा 4 के अंतर्गत घोषित अपराध एवं धारा 11 के अंतर्गत शास्ति एवं शमन करने की शक्तियां निम्नानुसार हैं:-

क्र. सं.	अपराध	शास्ति	शमन करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी
1.	कोई व्यक्ति जो सार्वजनिक या कार्यस्थल पर फेस मास्क या फेस कवर(जिससे नाक और मुँह समुचित रूप से ढका हो) नहीं पहने हुए हो।	500/-	1. समस्त कार्यपालक मजिस्ट्रेट 2. सहायक उप निरीक्षक एवं उससे उच्च स्तर के पुलिस अधिकारी 3. राजस्व निरीक्षक से अनिम्न रेंक के नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका के अधिकारी 4. जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी व खण्ड विकास अधिकारी
2.	कोई दुकानदार द्वारा, ऐसे किसी व्यक्ति को जिसने फेस मास्क या फेस कवर नहीं पहना हुआ हो, किसी वस्तु का विक्रय करना।	500/-	
3.	कोई व्यक्ति जो सार्वजनिक स्थान पर सामाजिक दूरी (अन्य व्यक्ति से न्यूनतम 6 फीट) बनाकर नहीं रखता है।	100/-	
4.	किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर।	200/-	1. समस्त कार्यपालक मजिस्ट्रेट 2. सहायक उप निरीक्षक एवं उससे उच्च स्तर के पुलिस अधिकारी
5.	कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर शराब, पान, गुटखा, तम्बाकू का उपभोग करते हुए पाये जाने पर।	500/-	3. जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी व खण्ड विकास अधिकारी
6.	उपखण्ड मजिस्ट्रेट को लिखित में पूर्व सूचना दिये बिना विवाह से सम्बन्धित किसी समारोह या जमाव का आयोजन करना या उस समारोह में सामाजिक दूरी बनाकर नहीं रखना।	5,000/-	1. समस्त कार्यपालक मजिस्ट्रेट 2. जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी व खण्ड विकास अधिकारी
7.	विवाह से सम्बन्धित समारोह आयोजन, जिसमें 200 से अधिक व्यक्ति हो।	25,000/-	
8.	कोई व्यक्ति लोक परिवहन सेवा यथा ऑटो, कैब, रिक्शा, बस, ट्रेन आदि में फेस मास्क या फेस कवर (जिसमें नाक और मुँह समुचित रूप से ढका हो) नहीं पहने हुए हो।	500/-	1. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी और जिला परिवहन अधिकारी
9.	सभी कार्यस्थल पर कार्यअवधि के दौरान नियमित रूप से	10,000/-	1. जिला उद्योग केन्द्र के सभी महाप्रबंधक

	सेनेटाईजेशन तथा सामाजिक दूरी की पालना नहीं कराई जाने पर।		2. रीको ईकाई के प्रमुख
10.	<p>जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट को लिखित पूर्व सूचना के बिना (विवाह अथवा अन्त्येष्टि/अंतिम संस्कार के अलावा) सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक अथवा अन्य किसी प्रकार का सार्वजनिक कार्यक्रम इत्यादि आयोजित करना जिसमें—</p> <p>1- <i>Closed Space</i> में हॉल की क्षमता के 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम संख्या 200 व्यक्तियों से अधिक होने पर।</p> <p>2- <i>Open Space</i> (खुले स्थानों में) मैदान/स्थान की क्षमता के आधार पर अधिकतम 200 व्यक्तियों से अधिक होने पर। तथा आयोजित किये जाने वाले कार्यक्रमों में सामाजिक दूरी की पालना नहीं किये जाने पर, फेस मास्क नहीं लगाने अथवा समुचित रूप से नहीं पहनने पर, स्क्रीनिंग एवं स्वच्छता का ध्यान नहीं रखे जाने पर।</p>	10,000/-	<p>1. समस्त कार्यपालक मजिस्ट्रेट</p> <p>2. जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी व खण्ड विकास अधिकारी</p>